राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प0 20 (4) न्याय/2015 जयपुर, दिनांक 01 AUG 2016

**—:आदेश:—**

नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 3 सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार **जिला नागौर** में **नावां सिटी** क्षेत्र के लिए **श्री रोहित कुमार पारीक** एवं **श्री विनोद सिंह शेखावत** अधिवक्तागण को एतद्द्वारा नोटेरी पब्लिक नियुक्त करती है।

उक्त नियुक्ति निर्धारित शुल्क रूपये 2000/— (अक्षरे दो हजार रूपये) मात्र राजकोष में जमा कराने, बार कॉउन्सिल तथा बार एसोसिएशन का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नोटेरी प्राधिकार प्रमाण पत्र **(certificate of practice)** की वैधता जारी करने की तिथि से पॉच वर्ष के लिए होगी।

**आज्ञा से**

01/8/16

**(मनोज कुमार व्यास)**
**प्रमुख शासन सचिव**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सोलीसीटर, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मा. विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जिला एवं सैशन न्यायाधीश, मेड़तासिटी जिला नागौर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, नागौर ।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राजपत्र के विशषाकं में प्रकाशनार्थ।
10. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
11. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, नावां सिटी।
12. श्री रोहित कुमार पारीक एवं श्री विनोद सिंह शेखावत अधिवक्तागण को उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर प्रेषित कर लेख है कि वह चालू वितीय वर्ष के लेखा मद 0070 —अन्य प्रशासनिक सेवाऐं, 01—न्याय प्रशासन, 501—सेवाऐं एवं सेवा, 01—उच्च न्यायायल, 00— फीस के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क राशि 2000/— रूपयें जमा करावाकर चालान की प्रति इस विभाग को भिजवाये। साथ यह भी लेख है कि राजस्थान बार काउन्सिल, जोधपुर तथा संबंधित अभिभाषक संघ (बार एसोसिएशन) के प्रमाण पत्र निम्नलिखित बिन्दुओं पर पेश करे:—
    (i) वह राजस्थान बार काउन्सिल, जोधपुर में अधिवक्ता के रूप में एनरोल्ड है।
    (ii) उनके विरूद्ध कोई आचरण संबंधी जांच/ शिकायत लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है
    (iii) वह आवेदित क्षेत्र में निवास एवं स्थानीय न्यायालयों में प्रेक्टिस करते है तथा नोटेरी के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु पात्र हैं।

उक्त चालान, राजस्थान बार काउन्सिल, जोधपुर तथा संबंधित अभिभाषक संघ के प्रमाण पत्र इस विभाग में प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। आपके द्वारा विभाग में प्रस्तुत किये गये मैमोरियल (आवेदन पत्र ) में अंकित तथ्यों के गलत पाये जाने पर आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

13. समस्त आवेदक अधिवक्ताओं को उनके आवेदन के क्रम में।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

01.08.16

**(डा. कैलाश चन्द्र अटवासिया)**
**संयुक्त शासन सचिव**